



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक-10 नि0(ब0पा0) 02/2025.....दिनांक-/...../2026

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सात निश्चय-2 अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अन्तर्गत बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

लाभुक के चयन के उपरान्त निर्गत स्वीकृति पत्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश संख्या- 2240, दिनांक- 21.05.2025 एवं तत्क्रम में निर्गत संगत कार्यान्वयन अनुदेश, पत्रांक- 2024 (नि0) दिनांक- 28.05.2025 में निहित प्रावधानों तथा पशुपालन निदेशालय में सम्पन्न चयन समिति की बैठक (कार्यवाही ज्ञापांक- 129 (नि0), दिनांक- 12.01.2026) में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नलिखित आवेदकों को अधोलिखित शर्तों के अधीन सात निश्चय-2 के तहत स्वीकृत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" अन्तर्गत निजी क्षेत्र में बकरी-फार्म (100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना के अन्तर्गत बकरी-फार्म के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(क) 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता

1. सामान्य कोटि:-

क्र0	नाम एवं आवेदन संख्या	पता	वित्तीय व्यवस्था का प्रकार (स्वलागत/ बैंक ऋण)	प्रशिक्षण
1	2	3	4	5
1.	पिन्दु कुमार SARA02062025GT0003 GEN	ग्राम- मुरली सिरिसया, पो0- शोभेपुर, थाना- भेलदी, प्रखण्ड- परसा, जिला- सारण, पिन- 841311	स्वलागत	हां
2.	अमरेन्द्र कुमार सिंह, GAYA06062025GT0136 GEN	ग्राम- सलेमपुर, पो0 + थाना + प्रखण्ड- टिकरी, जिला- गया, पिन- 824236	स्वलागत	हां
3.	अभिषेक कुमार, GAYA06062025GT0142 GEN	ग्राम- नेहालपुर, पो0- गया, थाना- रामपुर, प्रखंड- गया सदर, जिला- गया, पिन- 823001	स्वलागत	हां
4.	रामउदेश राय, MUZA09062025GT0254 GEN	ग्राम- छपरा, पो0- रामपुर हरि, थाना + प्रखंड- मीनापुर, जिला- मुजफ्फरपुर, पिन- 843117	स्वलागत	हां
5.	विकाश कुमार, JAMU10062025GT0302 GEN	ग्राम- केशोफरका, पो0 + थाना + प्रखंड- सोनो, जिला- जमुई, पिन- 811314	स्वलागत	हां
6.	संजय सिंह, GAYA11062025GT0348 GEN	ग्राम- बंशी बिगहा, पो0 + थाना + प्रखंड- बेलागंज, जिला- गया, पिन- 804403	स्वलागत	हां
7.	भास्कर कुमार, JAMU14062025GT0499 GEN	ग्राम- नवडीहा, पो0 + थाना + प्रखंड- खैरा, जिला- जमुई, पिन- 811317	स्वलागत	हां
8.	भुदेव कुमार यादव, BANK15062025GT0515 GEN	ग्राम- गोरालर, पो0- काधर, थाना + प्रखंड- कटोरिया, जिला- बांका, पिन- 813106	स्वलागत	हां



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



9.	गुलनाज बेगम, MUZA16062025GT0579 GEN	ग्राम + पो0- मिर्जापुर, थाना- अहियापुर, प्रखंड- बौचाहा, जिला- मुजफ्फरपुर, पिन- 843103	स्वलागत	हां
10.	संजय कुमार, MUZA17062025GT0615 GEN	ग्राम- छपरा, पो0- राजधं सन्नो, थाना + प्रखंड- मीनापुर, जिला- मुजफ्फरपुर, पिन - 843117	स्वलागत	हां
11.	अतुल आलोक, LAKH19062025GT0736 GEN	ग्राम- वार्ड नं0 13, पो0 + थाना + प्रखंड + जिला- लखीसराय, पिन- 811311	स्वलागत	हां
12.	जगन्नाथ सहनी, MUZA19062025GT0787 GEN	ग्राम- चक अब्दुल रहमान, पो0- आदीगोपालपुर, थाना + प्रखंड- बौचाहा, जिला- मुजफ्फरपुर, पिन- 843103	स्वलागत	हां
13.	शिव कुमार, GAYA22062025GT1150 GEN	ग्राम + पो0- रौन्दावाँ, थाना + प्रखंड- मोहनपुर, जिला- गया, पिन- 824201	स्वलागत	हां
14.	जितेन्द्र यादव, GAYA23062025GT1309 GEN	ग्राम- नवधरिया, पो0- बिजुबिगहा, थाना- बुनियादगंज, प्रखंड- मानपुर, जिला- गया, पिन- 823003	स्वलागत	हां
15.	कन्हैया कुमार, SAHA23062025GT1316 GEN	ग्राम- झरा वार्ड नं0 2, पो0- सिसौना, थाना + प्रखंड- महिषी, जिला- सहरसा, पिन- 852216	स्वलागत	हां
16.	मन्जुला देवी, BHAG23062025GT1471 GEN	ग्राम- हरदेवचक, पो0 + थाना- ईसीपुर, प्रखंड- पीरपैटी, जिला- भागलपुर, पिन- 813206	स्वलागत	हां
17.	अनिता कुमारी, AURA12062025GT0391 GEN	ग्राम- सहसपुर, पो0- झुमरडीहरा, थाना + प्रखंड- बारुन, जिला- औरंगाबाद, पिन- 824112	स्वलागत	नही
18.	संजय शर्मा, GAYA17062025GT0635 GEN	ग्राम- अमरपुर, पो0- उर विशुनपुर, थाना- मउ, प्रखंड- टिकरी, जिला- गया, पिन- 824235	स्वलागत	नही
19.	मोनु कुमार, BEGU21062025GT0971 GEN	ग्राम- गौरा 02 वार्ड नं0 04, पो0 + थाना + प्रखंड- तेघरा, जिला- बेगूसराय, पिन- 851133	स्वलागत	नही
20.	सैयद असीम अहमद, PATN22062025GT1179 GEN	ग्राम + पो0 + थाना- नेउरा, प्रखंड- बिहटा, जिला- पटना, पिन- 801113	स्वलागत	नही
21.	कमलेश यादव, PURN18062025GT0684 GEN	ग्राम- छत्तरभाग, पो0- विशुनपुर, थाना + प्रखंड- अमौर, जिला- पूर्णियाँ, पिन- 854315	बैंक लोन	हां
22.	नवनीत कुमार भारद्वाज, BHOJ21062025GT0915 GEN	ग्राम + पो0- बिछिआँव, थाना + प्रखंड- संदेश, जिला- भोजपुर, पिन- 802206	बैंक लोन	हां
23.	विशाल कुमार सिंह, SARA23062025GT1439 GEN	ग्राम- सैदपुर, पो0 + थाना + प्रखंड- दिघवाड़ा, जिला- सारण, पिन- 841207	बैंक लोन	हां



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



2. अनुसूचित जाति कोटि:-

क0	नाम एवं आवेदन सं0	पता	वित्तीय व्यवस्था का प्रकार (स्वलागत/ बैंक ऋण)	प्रशिक्षण
1	रेशमा देवी, JAMU14062025GT0497 SC	ग्राम- रामडीह चितौंभे, पो0 + थाना + प्रखंड- सिकन्दरा, जिला- जमुई, पिन- 811315	स्वलागत	हां
2	राज कुमार, PATN18062025GT0648 SC	ग्राम- नवाबगंज, पो0- बाढ़, थाना- रानी तालाब कन्या, प्रखंड- विक्रम, जिला- पटना, पिन- 801112	स्वलागत	हां
3	पिंकी देवी, SEKH18062025GT0695 SC	ग्राम- मानपुर, पो0- पचना, थाना- सिरारी, प्रखंड + जिला- शेखपुरा, पिन- 811107	स्वलागत	हां

(ख) 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता (हाइड्रोपोनिक्स विधि में चयनित):-

1. सामान्य कोटि:-

क0	नाम एवं आवेदन सं0	पता	वित्तीय व्यवस्था का प्रकार (स्वलागत/ बैंक ऋण)	प्रशिक्षण
1	पियुशी सरद, SITA06062025GT0146 GEN	ग्राम + पो0- राजोपल्ली, प्रखण्ड- सीतामढ़ी सदर, थाना + जिला- सीतामढ़ी, पिन- 843302	स्वलागत	हां
2	मो0 असफाक अहमद, MUZA16062025GT0582 GEN	ग्राम + पो0- दामोदरपुर थाना + प्रखंड- कांटी, जिला- मुजफ्फरपुर, पिन- 843113	स्वलागत	हां
3	राहुल कुमार, BEGU23062025GT1215 GEN	ग्राम- बिहट नगर परिषद, पो0- बिहट, थाना + प्रखंड- बरौनी, जिला- बेगूसराय, पिन- 851135	स्वलागत	हां
4	किशोर कुमार, MADH23062025GT1335 GEN	ग्राम- बेलोखारी, पो0- श्रीनगर, थाना + प्रखंड- गैलाढ़, जिला- मधेपुरा, पिन- 852124	स्वलागत	नही

2. अनुसूचित जाति कोटि:-

क0	नाम एवं आवेदन सं0	पता	वित्तीय व्यवस्था का प्रकार (स्वलागत/ बैंक ऋण)	प्रशिक्षण
1	विककी कुमार, NALA20062025GT0824 SC	ग्राम + पो0- हरगावन, थाना- मानपुर, जिला- नालन्दा, पिन- 803101	स्वलागत	हां



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



(ग) 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता (हाइड्रोपोनिक्स विधि में चयनित):-

1. सामान्य कोटि:-

क्र०	नाम एवं आवेदन सं०	पता	वित्तीय व्यवस्था का प्रकार (स्वलागत/ बैंक ऋण)	प्रशिक्षण
1	अमन कुमार, MUZA22062025GT1147 GEN	ग्राम - छपरा मोबारक, पो०- मकसुदपुर, थाना- रामपुरहारी, प्रखंड- मीनापुर, जिला- मुजफ्फरपुर, पिन- 843117	स्वलागत	हां
2	चन्द्रशेखर कुमार, MADH23062025GT1298 GEN	ग्राम- भिरखी, वार्ड नं०- 25, दुनियाही रोड, पो० + थाना + प्रखंड + जिला- मधेपुरा, पिन- 852113	बैंक ऋण	हां

1- इस स्वीकृति पत्र के निर्गत होने के 07 दिनों के अन्दर आपको संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ एकरारनामा कर प्रपत्र - (5) में देना अनिवार्य होगा।

2- एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 60 दिनों के अन्दर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण (आधारभूत संरचना/बकरा/बकरी का क्रय इत्यादि) कर लिया जायेगा।

3- बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना आपके द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

4- एकरारनामा संपादित करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण नहीं करने की स्थिति में आपका स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

5- 100 बकरी + 05 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता में चयनित लाभुकों को आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान दो किशतों में किया जायेगा।

6- हरा चारा उत्पादन हेतु अनुदान की राशि द्वितीय किस्त में ही समाहित है, जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लाभुक को योजना के अंतिम वर्ष में किया जायेगा।

7- साथ ही हाइड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन की स्थिति में हाइड्रोपोनिक्स संयंत्र स्थापित करने के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुदान की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

8- बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभुक के ऋण आवेदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का यह दायित्व होगा कि वह अविलम्ब संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को इसकी सूचना दे एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। लाभुक को स्वलागत से बकरी फार्म का निर्माण हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा एवं इस आवेदन की तिथि को स्वलागत के लिए आवश्यक राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य भी समर्पित करना होगा।



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



9-आपके द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र- (6) में संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन प्रपत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) के साथ आपका फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10- आपके द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित करने के उपरान्त क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति (समिति में क्षेत्रीय निदेशक या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/ सहायक कुक्कुट पदाधिकारी होंगे) द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण किया जायेगा तथा जिसकी विधिवत् रूप से फोटोग्राफी भी करायी जायेगी। स्थल निरीक्षण के समय आपका स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति के सदस्य के साथ लाभुक एवं बकरी फार्म के आधारभूत संरचना का अन्दर एवं बाहर से रंगीन फोटोग्राफी कर GEO टैग कराना अनिवार्य है।

11- स्थल निरीक्षण के समय कार्यान्वयन अनुदेश में निहित प्रावधानों एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र- 7 के साथ सभी आवश्यक कागजात (वांछित अनुलग्नकों सहित) जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुकों को अनुदान भुगतान कार्यान्वयन अनुदेश में निहित प्रावधानों के तहत किया गया है अथवा नहीं कि सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की होगी।

12- प्रपत्र- 7 एवं सभी आवश्यक कागजात (वांछित अनुलग्नकों सहित) प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर बी0एल0डी0ए0, पटना द्वारा अनुदान की राशि संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा लाभुक को एक सप्ताह के अन्दर एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT) के माध्यम से अनुदान की राशि भुगतान की जायेगी।

13- यदि लाभुक द्वारा कोई गलत जानकारी देकर/कोई तथ्य छुपाकर लाभ प्राप्त किये जाने की सूचना भविष्य में संज्ञान में आती है या पूर्व में विभाग की तरफ से बकरी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त किया गया है, तो लाभुक का स्वीकृति पत्र रद्द कर दिया जायेगा एवं अनुदान राशि की रिकवरी कर ली जायेगी। इसकी सारी जिम्मेवारी लाभुक की होगी। साथ ही लाभुक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

14- किसी भी प्रकार का विवाद/संशय उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

ह0/-

(डॉ0 अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक (मु0)।



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



ज्ञापांक-10 नि0 (ब0पा0) 02/2025 369 (प्र0), पटना- 15, दिनांक- 29 / 01 / 2026

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रतिलिपि :- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

– निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट से स्वीकृति पत्र डाउनलोड कर अपने जिले के संबंधित चयनित लाभुकों को अविलंब स्वीकृति पत्र की प्राप्ति कराना सुनिश्चित कराया जाय । साथ ही निर्धारित 07 दिनों के अन्दर लाभुक के साथ संगत कार्यान्वयन अनुदेश में दिये गये निदेश के आलोक में अंकित सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए एकरारनामा कराना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


संयुक्त निदेशक (मु0) ।